25-4-22

वकील पक्षकारान उप०। जवाब वकील प्रतिवादी न० 1 श्री [illegible] ने जवाब प्रा०पत्र पेश किया। वास्ते बहस एवं शेष तर० प्रतिवादी तामील दिनांक 2-5-22 को पेश हो।

2-5-22

वकील पक्षकारान उप०। वास्ते बहस प्रा०पत्र पर दिनांक 16-5-22 को पेश हो।

16-5-22 ....पत्रावली पेश हुई। पी.ओ. साहब स्थानान्तरण हो गया
अन्य कार्य में व्यस्त हैं/~~बाहर पधारे हैं~~।
उभयपक्ष के अभि.उप. आयन्दा दिनांक 25-5-22
को पेश हो।

रीडर

25-5-22 ....पत्रावली पेश हुई। पी.ओ. साहब स्थानान्तरण हो गया
अन्य कार्य में व्यस्त हैं/बाहर पधारे हैं।
उभयपक्ष के अभि.उप. आयन्दा दिनांक 6-6-22
को पेश हो।

रीडर

6-6-22 ....पत्रावली पेश हुई। पी.ओ. साहब स्थानान्तरण
अन्य कार्य में व्यस्त हैं/बाहर पधारे हैं।
उभयपक्ष के अभि.उप. आयन्दा दिनांक 20-6-22
को पेश हो।

रीडर

20-6-22 ....पत्रावली पेश हुई। पी.ओ. साहब
अन्य कार्य में व्यस्त हैं/~~बाहर पधारे हैं~~।
उभयपक्ष के अभि.उप. आयन्दा दिनांक 29-6-22
को पेश हो।

रीडर

29-6-22 ....पत्रावली पेश हुई। पी.ओ. सा
~~अन्य कार्य में व्यस्त हैं~~/बाहर पधारे हैं
उभयपक्ष के अभि.उप. आयन्दा दिनांक
को पेश हो।

रीडर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़-बास (अलवर)

ांक	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
	सलीम/ज़रीना
	6-7-22 पत्रावली पेश हुई। पी.ओ. साहब ~~अन्य कार्य में व्यस्त हैं~~/बाहर पधारे हैं। उभयपक्ष के अभि.उप. आयन्दा दिनांक 12-7-22 को पेश हो। [हस्ताक्षर] रीडर
	12-7-22 पत्रावली पेश हुई। पी.ओ. साहब ~~अन्य कार्य में व्यस्त हैं~~/बाहर पधारे हैं। उभयपक्ष के अभि.उप. आयन्दा दिनांक 19-7-22 को पेश हो। [हस्ताक्षर] रीडर
19-7-22	वकील पक्षकारान उप० वकील वादी बहस को मौका चाहते है। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 25-7-22 को पेश हो। [हस्ताक्षर]
5-7-22	वकील पक्षकारान उप० । बहस प्रार्थना पत्र धा 212 RTAct पर सुनी गई। वास्ते आदेश दिनांक 3-8-22 को पेश हो। [हस्ताक्षर]
-8-22	वकील पक्षकारान उप०। प्रार्थी का प्रार्थना पर आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। निर्णय पृथक से टंकित कराया जाकर श्राजमि० किया गया। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर संलग्न मूलवाद रहे। [हस्ताक्षर]

न्यायालय उपखण्ड अधिकरी किशनगढबास अलवर (राज0)

अध्याशाषितः– श्री गंगाधर मीणा आर0ए0एस0

दावा सं0	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
69 / 22	02.06.2017	03.08.22

<u>उनवान</u>

1. करण सिंह पुत्र सुखदेव जाति गुर्जर साकिन आसलवास तहसील बावल जिला रेवाडी हरियाणा। :– वादी

बनाम

1. मोहरसिंह
2. तेजराम पुत्रान मामराज जाति गुर्जर
3. शादीराम पुत्र मामराज (मृतक)

3/1. मु0 भग्गो बेवा शादीराम गुर्जर साकिन तरवाला

3/2. बनेसिंह पुत्र शादीराम

3/3. संजय पुत्र शादीराम गुर्जर साकिन तरवाला

3/4. सुमेत पुत्री शादीराम पत्नी रामपाल गुर्जर निवासी टीहली तहसील तिजारा।

3/5. पपीता पुत्री शादीराम पत्नी राजपाल गुर्जर निवासी तिजारा।

3/6. जगन्ता पुत्री शादीराम पत्नी औमपाल गुर्जर तिजारा।

4. मु0 सन्तरादेवी बेवा रामचन्दर ।
5. रामेश्वर पुत्र रामचन्दर।
6. भीमसिंह पुत्र रामचन्दर।
7. काशीराम पुत्र रामचन्दर।
8. बत्तोदेवी पुत्री रामचन्दर पत्नी अमीचन्द गुर्जर साकिन टीहली तहसील तिजारा।
9. नीलम पुत्री रामचन्दर पत्नी रामौतार गुर्जर साकिन टीहली तहसील तिजारा।
10. लाली पुत्री रामचन्दर पत्नी रमेंशचन्द गुर्जर साकिन टीहली तहसील तिजारा ।
11. मेवा पी रामचन्दर पत्नी निहालसिंह गुर्जर ग्राम सोतका बहादुरपुर जिला अलवर।
12. मु0 रामवती बेवा रतीराम ।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

13. अजीतसिंह पुत्र रतीराम ।

14. सरजीत पुत्र रतीराम ।

15. बलजीत पुत्र रतीराम।

16. मुनेश पुत्री रातीराम पत्नी सुरतू गुर्जर निवासी नंगली जटियाणा तहसील कोटकासिम।

17. शनेश पुत्री रतीराम पत्नी सतीश गुर्जर निवासी सरहेटा तह0 तिजारा।

18. कबूल पुत्री रतीराम पत्नी वेदराम गुर्जर निवासी सरहेटा तहसील तिजारा जिला अलवर।

:–असल प्रतिवादीगण

19. अरूण नाबालिगान।

20. अमन पुत्रान सुभाषचन्द पुत्र महावीर नाबालिगान जर्ये सरपरस्त माता नीता पत्नी सुभाषचन्द जाति गुर्जर निवासी आसलवास तहसील बावल जिला रेवाडी।

21. शादीराम पुत्र बहराम।

22. धर्मपाल पुत्र बहराम जाति गुर्जर निवासी आसलवास तहसील बावल जिला रेवाडी हरियाणा।

:–तरतीबी प्रतिवादीगण

(दावा इश्तकराहक मय इन्द्राज दुरूस्ती व
मय हुक्मइमतनाई दवामी अन्तर्गत धारा
88,89, 188 आर0टी0एक्ट0 1955)

<u>उपस्थितिः</u>–1. वादी की ओर से श्री सूरजभान भण्डाना वकील।

2. प्रतिवादीगण की एक पक्षीय कार्यवाही ।

<u>निर्णय</u>

दावे की सुक्ष्म वृतांत निम्न प्रकार से है :–

वकील वादी ने वाद पेश कर निवेदन किया कि आराजी हाल ख0न0 98 रकबा 0.1000 हे0, 99 रकबा 0.1400 हे0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.2400हे0 वाके ग्राम इसैपुर तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज0 स्थित है। जो आराजी प्रस्तुत वाद में विवादित आराजी कहलावेगी।

विवादित आराजी हाल ख0न0 98 रकबा 0.1000 हे0, 99 रकबा 0.1400 हे0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.2400हे0 वाके ग्राम इसैपुर तहसील किशनगढबास जिला अलवर रामचन्दर, मोहरसिंह, तेजराम, शादीराम, पुत्रान मामराज जाति गुर्जर निवासी तरवाला तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज0 की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी थी, जिन्होने उक्त आराजी को बाजाप्ता बकब्जा प्रतिफल लेकिन मिन वादी व तर0 प्रतिवादी संख्या 19 व 20 के

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

दादा व 21 व 22 को जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा बेचान कर दी जो ब्यनामा दिनांक 12/09/2007 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 395 में पृष्ठ संख्या 85 कम संख्या 2007003187 पर पंजिबद्ध किया गया है। जिस पर बाद बैयनामा मिन वादी व तर0प्रतिवादी काबिज होकर काश्त करने लगे तथा अब भी विवादित आराजी पर शांतिपूर्वक काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। विवादित आराजी मिन वादी व तर0प्रति0 संख्या 21,22 व तर0प्रति0 19,20 के दादा महावीर की खारीदशुदा कब्जे काश्त की आराजी है जिन्होंने बाद उक्त असल बैयनामा पटवारी हल्का को वास्ते दर्ज करने इंतकाल दे दिया। वादी व तर0प्रतिवादीगण जो भोले भाले व्यक्ति है पटवारी हल्का ने उसल बैयनामा इस आशय से लौटा दिया कि इंतकाल दर्ज हो चुका है। मिन वादी व तर0प्रतिवादी इसी विश्वास में रहे कि इंतकाल हमारे पक्ष में दर्ज व मंजूर हो चुका है।

वक्त खरीद से मिन वादी व तर0प्रतिवादीगण विवादीत आराजी काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। अब मिन वादी को माह मई 2017 में किसान केडिट कार्ड के लिए जमाबन्दी की आवश्यकता होने पर मिन वादी को सर्वप्रथम ज्ञान हुआ कि विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी तेजराम, शादीराम, मोहरसिंह पुत्रान मामराज व रामचन्दर की मृत्यु के बादइ उसके वारिसान प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 15 के नाम का अंकन हो रहा है। जिस पर मिन वादी को उक्त गलत इन्द्राज की सर्वप्रथम जानकारी हुई।

प्रतिवादी रामचन्दर द्वारा अपने जीवनकाल में बदयान्ति पूर्वक यह जानते हुये कि उसने विवादित आराजी मिन वादी व तर0प्रतिवादी को बेचान की गयी है फिर भी बदयान्ति पूर्वक अपने हिस्से की आराजी पर एस0बी0बी0जे0शाखा किशनगढबास से किसान केडिट कार्ड का लॉन ले लिया। जिसका अंकन राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

असल प्रतिवादीगण का विवादित आराजी से कोई किसी प्रकार का लेना देना व संबंध वो सरोकार नही है। विवादित आराजी मिन वादी व तर0प्रतिवादी की खरीदशुदा आराजी है जिस पर बाद खरीद से हम काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है लेकिन राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादीगण के नाम का अंकन गलत तौर पर हो रहा है इसलिये राजस्व रिकार्ड से प्रतिवादीगण के नाम को हजफ किया जाकर मिन वादी व तर0प्रतिवादीगण को काबिज काश्त खातेदार दर्ज राजस्व रिकार्ड किया जावे। जिसके लिये दावा हाजा दायर करना लाजिम आया है।

अतः प्रार्थना है कि हस्ब जैल दादरसी अता फरमाई जावें:–

अ– डिक्री इज़ाय इशतकरारहक बहक वादी व तर0प्रतिवादीगण विरूद्ध असल प्रति0 सादिर फरमाई जाकर घोषित किया जावे कि आराजी हाल खसरा संख्या 98 रकबा 0.1000हे0, 99 रकबा 0.1400हे0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.2400हे0 वाके ग्राम इसैपुर तहसील किशनगढबास जिला अलवर के वादी व तर0प्रतिवादीगण संख्या 21 व 22, 3/4 भाग के तथा तर0प्रतिवादी संख्या 19 व 20 1/4 भाग के खरीददार काबिज काश्त खातेदार काश्तकार है । काबिज काश्त खातेदार घोषित किया जावे । तथा हिस्सानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

ब– डिक्री इन्द्राज दुरूस्ती इस अमर की पारित कि जावे कि आराजी हाल खसरा संख्या 98 रकबा 0.1000हे0, 99 रकबा 0.1400हे0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.2400हे0 वाके ग्राम इसैपुर

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

तहसील किशनगढ़बास जिला अलवर के राजस्व रिकार्ड में जो गलत अंकन प्रतिवादीगण असल के नाम का हो रहा है उसे हजफ कर हटाया जावे तथा वादीगण को बैयनामा के आधार पर खरीदशुदा खातेदार घोषित कर हिस्सानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

ब– जरिये हुक्मइम्तनाई दवामी प्रतिवादीगण असल को पाबन्द किया जावे कि वो आराजी मुतनाजिया का कोई जुज किसी भी दीगर सख्स को रहन बैय हिवा लीज इत्यादि द्वारा मुन्तकिल ना करे, ना ही वादी व तर0प्रति0 को जब्रन बेदखल करे, ना ही कब्जा काश्त में मजाहमत व मदाखलत पैदा करे। राजस्व रिकार्ड व मौका की यथावत स्थिति कायम रखें।

स– खर्चा हर्जा मुकदमा का वादी को प्रतिवादीगण से दिलाया जावे।

द– दीगर दादरसी जो नजदीक अदालत मुनासिब हो बहक वादी बख्सी जावे।

दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये नोटिस एवं जर्ये अखबार सामा तलब किया गया । प्रतिवादीगण बावजूद सूचना उपस्थित नही हुये लिहाजा उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही किये जाने के आदेश पारित किये जाकर पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी नियत की गई।

वादी ने साक्ष्य मे वादी करणसिंह पी0डब्लू01, गोविन्द प्रसाद पुत्र श्री रामनारायण पी0डब्लू 2, के शपथ पत्र पेश कियें है तथा दस्तावेजी साक्ष्य में विक्रय पत्र दिनांक 12.9.2007 की असल प्रति प्रदर्श–1, जमाबंदी संवत 2076–73 प्रदर्श वाके ग्राम इसैपुर प्रदर्श–2, तहसीलदार को प्रेषित प्रार्थना पत्र दिनांक 24.5.2017 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–3, अखबार पंजाब केसरी दिनांक 8.4.22 प्रदर्श –4 पेश किये है। तथा प्रतिवादी की एक पक्षीय कार्यवाही हो चुकी है।

वकील वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील वादी ने बहस में वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि हम इस आराजी के खरीददार खातेदार काश्तकार है गलती से बयनामा का इन्तकाल दर्ज नही कराया अज्ञानता के कारण बयनामा पटवारी हल्का को नही दिया। विक्रेता के फौत होने पर उसके वारिसान प्रतिवादीगण के नाम इन्तकाल गलतरूप से दर्ज हो गया। अतः हम बयनामा के आधार पर खरीददार खातेदार खातेदार घोषित किया जावे। दावा वादीगण डिक्री फरमाया जावे।

हमने वकील वादी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया। नकल बयनामा प्रदर्श–1 असल दिनांक 7.9.2007 से साबित है कि आराजी हाल ख0न0 98 रकबा 0.1000 हे0, 99 रकबा 0.1400 हे0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.2400हे0 वादी ने रामचन्दर, गोहरसिंह, तेजराम पुत्रान मामराज जाति गुर्जर निवासी तरवाला तहसील किशनगढ़बास से दिनांक 7.9.2007 को खरीद किया है। जिसका अंकन प्रतिवादीगण के नाम जमाबंदीयात /राजस्व रिकार्ड में नही होने के कारण प्रतिवादीगण के नाम का अमल हो रहा पाया । जिससे साबित होता है कि वादीगण द्वारा आराजी विवादित खरीद की हुई है। लेकिन खरीद का अंकन जमाबंदीयात में अमल नही होने के कारण प्रतिवादीगण के नाम आज दिनांक तक चला आ रहा है। जिसे दुरूस्त किया जाना उचित एवं न्यायसंगत समझते है।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकरी किशनगढबास अलवर (राज0)

अध्याशाषितः– श्री गंगाधर मीणा आर0ए0एस0

दावा सं0	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
69/22	02.06.2017	03.08.22

उनवान

1. करण सिंह पुत्र सुखदेव जाति गुर्जर साकिन आसलवास तहसील बावल जिला रेवाडी हरियाणा। :– वादी

बनाम

1. मोहरसिंह
2. तेजराम पुत्रान मागराज जाति गुर्जर
3. शादीराम पुत्र मागराज (मृतक)

3/1. मु0 भग्गो बेवा शादीराम गुर्जर साकिन तरवाला

3/2. बनेसिंह पुत्र शादीराम

3/3. संजय पुत्र शादीराम गुर्जर साकिन तरवाला

3/4. सुमेत पुत्री शादीराम पत्नी रामपाल गुर्जर निवासी टीहली तहसील तिजारा।

3/5. पपीता पुत्री शादीराम पत्नी राजपाल गुर्जर निवासी तिजारा।

3/6. जगन्ता पुत्री शादीराम पत्नी औमपाल गुर्जर तिजारा।

4. मु0 सन्तरादेवी बेवा रामचन्दर ।
5. रामेश्वर पुत्र रामचन्दर।
6. भीमसिंह पुत्र रामचन्दर।
7. काशीराम पुत्र रामचन्दर।
8. बत्तोदेवी पुत्री रामचन्दर पत्नी अमीचन्द गुर्जर साकिन टीहली तहसील तिजारा।
9. नीलम पुत्री रामचन्दर पत्नी रामौतार गुर्जर साकिन टीहली तहसील तिजारा।
10. लाली पुत्री रामचन्दर पत्नी रमेशचन्द गुर्जर साकिन टीहली तहसील तिजारा ।
11. मेवा पी रामचन्दर पत्नी निहालसिंह गुर्जर ग्राम सोतका बहादुरपुर जिला अलवर।
12. मु0 रामवती बेवा रतीराम ।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

13. अजीतसिंह पुत्र रतीराम ।

14. सरजीत पुत्र रतीराम ।

15. बलजीत पुत्र रतीराम।

16. मुनेश पुत्री रातीराम पत्नी सुरतू गुर्जर निवासी नंगली जटियाणा तहसील कोटकासिम।

17. शनेश पुत्री रतीराम पत्नी सतीश गुर्जर निवासी सरहेटा तह0 तिजारा।

18. कबूल पुत्री रतीराम पत्नी वेदराम गुर्जर निवासी सरहेटा तहसील तिजारा जिला अलवर।

:—असल प्रतिवादीगण

19. अरूण नाबालिगान।

20. अमन पुत्रान सुभाषचन्द पुत्र महावीर नाबालिगान जर्ये सरपरस्त माता नीता पत्नी सुभाषचन्द जाति गुर्जर निवासी आसलवास तहसील बावल जिला रेवाडी।

21. शादीराम पुत्र बहराम।

22. धर्मपाल पुत्र बहराम जाति गुर्जर निवासी आसलवास तहसील बावल जिला रेवाडी हरियाणा।

:—तरतीबी प्रतिवादीगण

(दावा अन्तर्गत धारा88,89, 188 आर0टी0एक्ट0 1955)

<u>उपस्थिति</u>:—1. वादी की ओर से श्री सूरजभान भण्डाना वकील।

2. प्रतिवादीगण की एक पक्षीय कार्यवाही ।

<u>पर्चा डिकी</u>

वाद वादी विरूद्व असल प्रतिवादीगण एक पक्षीय डिकी जाता है कि आराजी हाल आराजी ख0न0 98 रकबा 0.1000 हे0, 99 रकबा 0.1400 है0, कुल किता 2 रकबा 0.2400 हे0 वाके ग्राम इसैपुर तहसील किशनगढबास जिला अलवर के वादी व तर0प्रतिवादीगण सं0 21 व 22 को 3/4 भाग के तथा तर0 प्रतिवादी सं0 19 व 20 के 1/4 भाग के खरीददार काबिज काश्त खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है हिस्सानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। राजस्व रिकार्ड में जो अमल प्रतिवादीगण असल का हो रहा है उसे हजफ किया जावे। तदनानुसार ही राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल रिकार्ड हो सुनाया गया।

(गंगाधर मीणा)

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)